सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 400 राँची, सोमवार, 13 जुलाई, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई, 2026

संख्या-07 / हो०गा० (स्था०)-03/2025-4307--विभागीय अधिसूचना सं०- 4914 एवं 4915, दिनाक-10.08.2010 के द्वारा सेवा मुक्त किये जाने के उपरांत विभागीय आदेश सं०-4155, दिनांक 05.09.2012 द्वारा पुनर्बहाल कर योगदान प्राप्त / स्वीकृत करने के निर्णय के आलोक में द्वितीय बैच के निम्नांकित जिला समादेष्टा की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक 05.09.2012 तक) को माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद CBI, ACB, Ranchi Case no- RC 06(A)/2012-AHD-R, दिनांक-05.07.2012 तथा अन्य याचिकाओं के न्याय निर्णय एवं सरकार के आदेश से. प्रभावित होने के शर्त पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के अधीन असाधारण अवकाश (अवैतनिक) के रूप में सशर्त तदर्थ रूप से विनियमित किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
01	श्री रवि कुमार कुजूर	जिला समादेष्टा, गिरिडीह
02	श्री हरिहर सिंह मुण्डा	जिला समादेष्टा, सरायकेला-खरसावाँ ।

2. उक्त सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक-05.09.2012) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के अधीन असाधारण अवकाश के रूप विनियमन के फलस्वरूप किसी प्रकार का वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होंगे।

3. द्वितीय बैच के सेवा मुक्तं एवं पुर्नबहाल किये गये उक्त 02 जिला समादेष्टा की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक-05.09.2012 तक) को सशर्त तदर्थ रूप से विनियमन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 400 - 50